[भारत के राजपत्र,असाधारण के भाग II, धारा 3 के उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय अप्रयक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना संख्या 24/2020 - सीमा शुल्क

नई दिल्ली 21, मई, 2020

सा.का.नि. ______ (ई) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (i) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की उन प्रत्येक अधिसूचनाओं में, जो कि नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (2) में दी गयी हैं, आगे भी संशोधन करती है तथा ये संशोधन उक्त सारणी के कॉलम (3) में दी गयी तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट तरीके से किए जाएंगे । यथा:-

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या एवं दिनांक	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	40/2015–सीमा शुल्क, दिनांक 21 जुलाई, 2015 [सा.का.नि.सं. 568 (ई), दिनांक 21 जुलाई, 2015 के द्वारा]	उक्त अधिसूचना में, - (क) तालिका में, क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां सम्मिलित की जाएंगी, यथा: "5. इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट (इंडिया) प्रा. लिमिटेड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई। ” (ख) शर्त (x) में, निम्नलिखित परंतुक सम्मिलित किया जाएगा, यथा: - "बशर्ते कि उन मामलों में जहां पुनर्निर्यात की अंतिम तिथि 1 फरवरी, 2020 और 31 जुलाई, 2020 के बीच आती है, अंतिम तिथि छह महीने के लिए बढ़ाई जाती है;”।
2.	56/2000 –सीमा शुल्क दिनांक 05 मई, 2000 [सा.का.नि. 399 (ई), दिनांक 05 मई, 2000 के द्वारा]	उक्त अधिसूचना में, दूसरे परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक सम्मिलित किया जाएगा, यथा: - "बशर्ते यह भी कि, उन मामलों में जहां निर्यात की अंतिम तिथि 1 फरवरी, 2020 और 31 जुलाई, 2020 के बीच आती है, निर्यात की अंतिम तिथि छह महीने के लिए बढ़ाई जाती

		है”।
3.	57/2000 -सीमा शुल्क दिनांक 08 मई, 2000 [सा.का.नि. 413 (ई), दिनांक 8 मई, 2000 के द्वारा]	उक्त अधिसूचना में, दूसरे परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक सम्मिलित किया जाएगा, यथा: - "बशर्ते यह भी कि, उन मामलों में जहां निर्यात की अंतिम तिथि 1 फरवरी, 2020 और 31 जुलाई, 2020 के बीच आती है, निर्यात की अंतिम तिथि छह महीने के लिए बढ़ाई जाती है”।

(फा.संख्या DGEP / EOU / 08/2020)

(गोपाल कृष्ण झा)
निदेशक (ड्रॉबैक)

नोट:-

(1) प्रधान अधिसूचना संख्या 40/2015 -सीमा शुल्क, दिनांक 21 जुलाई, 2015 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उपधारा (i) में जी.एस.आर.संख्या 568 (ई), दिनांक 21 जुलाई, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम रूप से अधिसूचना संख्या 61/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा संशोधित किया गयाएवं भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा(i) में जी.एस.आर संख्या 739 (ई), दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया।

(2) प्रधान अधिसूचना संख्या 56/2000-सीमा शुल्क, दिनांक 05 मई, 2000 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उपधारा (i) में जी.एस.आर.संख्या 399 (ई), दिनांक 05 मई, 2000 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम रूप से अधिसूचना संख्या 90/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 27 नवम्बर, 2017 द्वारा संशोधित किया गयाएवं भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा(i) में जी.एस.आर संख्या 1450 (ई), दिनांक 27 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया।

(3) प्रधान अधिसूचना संख्या 57/2000-सीमा शुल्क, दिनांक 08 मई, 2000 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उपधारा (i) में जी.एस.आर.संख्या 413 (ई), दिनांक 08 मई, 2000 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम रूप से अधिसूचना संख्या 28/2019 - सीमा शुल्क, दिनांक 02 सितंबर, 2019 द्वारा संशोधित किया गयाएवं भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा(i) में जी.एस.आर संख्या 624 (ई), दिनांक 02 सितंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया।